

न्यायालय— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्यायालय के तृतीय  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल, जिला बैतूल (म0प्र0)  
{समक्ष-श्रीमती सीता कनोजे}

व्यवहार वाद क.-22ए/17  
संस्थित दिनांक-03.02.2017

1. लक्ष्मण राव पिता नानाराव नलगे, उम्र 40 वर्ष
  2. भरत पिता नानाराव नलगे, उम्र 28 वर्ष
  3. सुनीता पुत्री नानाराव नलगे, उम्र 32 वर्ष
  4. मीना पुत्री अन्नाराव नलगे, उम्र 34 वर्ष
  5. संतोष पिता अन्नाराव नलगे, उम्र 42 वर्ष
- सभी निवासी— रानीपुर रोड, गौठाना तह. जिला बैतूल

—आवेदकगण/वादीगण

—:विरुद्ध:-

1. श्रीमती अनुसुईया पत्नी अन्नाराव नलगे, उम्र 60 वर्ष
2. श्रीमती छब्बूबाई पति नानाराव नलगे, उम्र 60 वर्ष
3. गजानन पिता नानाराव नलगे, उम्र 44 वर्ष  
तीनों निवासी— रानीपुर रोड गौठाना तह. जिला बैतूल
4. भाउराव पिता देवराव नलगे, उम्र 85 वर्ष  
निवासी— प्रभात टॉकिज के पास दुर्गा वार्ड, कोठीबाजार बैतूल  
तह. जिला बैतूल
5. दीपक शर्मा पिता मदनलाल शर्मा, उम्र 35 वर्ष  
निवासी वैष्णवी नगर गौठाना बैतूल तह. जिला बैतूल
6. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल —अनावदेकगण/प्रतिवादीगण

---

वादीगण द्वारा श्री गुफरान खान अधिवक्ता।

प्रतिवादी क- 1 से 3 एवं 6 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रतिवादी क- 4, 5 द्वारा श्री कपिल वर्मा अधिवक्ता।

---

// आदेश //(आज दिनांक-23.03.2018 को पारित ।)

**01.** इस आदेश के द्वारा आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. 1908 का निराकरण किया जा रहा है ।

**02.** प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

**03.** वादी के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी द्वारा उक्त वाद उसकी खानदानी भूमि ख.न. 184/1 एवं 184/59 ग्राम गौठाना तह. जिला बैतूल के ऋषोषणा, बटवारा एवं व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी भाउराव द्वारा अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर एवं सांठगांठ कर तथा वादीगण से छिपाकर बटवारा गलत रीति से कराकर अधिक संपत्ति प्राप्त की है एवं वादीगण को हक से वंचित करने का प्रयास किया है। भाउराव द्वारा गलत ढंग से बटवारे के आधार पर अवैध रूप से प्राप्त की गई भूमि प्रतिवादी दीपक शर्मा को विक्रय कर दी है जिस कारण भाउराव एवं दीपक शर्मा वादीगण के अंश व हक की भूमि पर बलात कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा वादीगण के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के हिस्से पर भवन निर्माण हेतु गड्ढे खुदाई कर रहे हैं।

**04.** वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि होने से वादीगण उसमें अपना जन्मजात हक व स्वत्व रखते हैं तथा वादीगण वादग्रस्त भूमि पर वर्षों से काबिज है एवं उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं । यदि वादीगण को वादग्रस्त भूमि के वास्तविक भौतिक आधिपत्य से बेदखल किया जाता है या प्रतिवादीगण द्वारा कोई निर्माण कार्य वाद ग्रस्त भूमि पर इस वाद के लंबित रहने के दौरान एवं निराकरण के पूर्व करा लिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति रूप्यों में किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में तहसीलदार के स्थगन के प्रकाश में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होने से प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है । इसलिये इस वाद के निराकरण प्रतिवादीगण स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से कोई हस्तक्षेप न कर सके। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया ।

**05.** प्रतिवादीगण क्र.-1 लगायत 3 ने वादीगण के अभिचनों को असत्य बताकर अस्वीकृत किया है तथा वादीगण का आवेदन आधारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

**06.** प्रतिवादी क्र. 4 एवं 5 द्वारा वादीगण के उक्त आवेदन का लिखित जवाब नहीं देना प्रकट किया है।

**07.** अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित तीन अवधारणीय बिन्दु है कि क्या:-

- 1- प्रथम दृष्ट्या मामला ।
- 2- सुविधा का संतुलन या ।
- 3- अपूर्णीय स्वरूप की क्षति के मानक वादी के पक्ष में है।

**—:अवधारणीय बिन्दु क्रमांक-1 सकारण निष्कर्ष:-**

**08.** वादीगण के यह अभिवचन हैं कि ख.नं. 184/1 एवं 184/59 रकबा क्रमशः 1.200, 0.020 हे. जो कि ग्राम गौठाना तह. जिला बैतूल में स्थित है जो वादीगण की खानदानी भूमि है। जिसमें प्रतिवादी भाउराव द्वारा अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर सांठगांठ कर गलत तरीके से बटवारा कर अधिक संपत्ति प्राप्त की है और प्रतिवादी भाउराव ने दिनांक 08.09.2016 को प्रतिवादी दीपक शर्मा को विक्रय कर दी। जबकि प्रतिवादी क्र. 4 भाउराव ने वादी के उक्त अभिवचन के खंडन में कोई अभिवचन नहीं किये हैं और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है। तर्क के दौरान प्रतिवादी क्र. 4 एवं 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी दीपक शर्मा द्वारा पूर्ण निर्माण कर लिया है तथा निर्माण कर लेने के संबंध में फेहरिस्त अनुसार फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं जिसके खंडन में वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

**09.** उक्त विवादित भूमि वादीगण की खानदानी भूमि होकर उक्त भूमि में प्रतिवादी भाउराव द्वारा गलत तरीके से दिनांक 01.03.1993 को बटवारा करा लिया । उक्त बटवारा अवैध है या नहीं, इस तथ्य का निर्धारण साक्ष्य प्रस्तुति के पश्चात गुण-दोषों के आधार पर ही किया जा सकेगा। अभिलेख पर आई उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में होना स्थापित नहीं होता है।

**—:अवधारणीय बिन्दु क्रमांक- 2 व 3 सकारण निष्कर्ष:-**

**10.** वादीगण द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य है और प्रतिवादी भाउराव और दीपक शर्मा वादीगण के आधिपत्य की भूमि में

बल पूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं । जबकि प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त अभिवचन असत्य होना प्रकट किया है। उक्त विवादित भूमि वादीगण के कब्जे में है, के तथ्य के प्रमाण हेतु वादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। दूसरी ओर प्रतिवादी दीपक शर्मा द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण कर लेने के संबंध में फेहरिस्त अनुसार फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये हैं जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्र. 4 के आधिपत्य में है। उक्त स्थिति में उक्त विवादित भूमि वादीगण के कब्जे में होना प्रथम दृष्ट्या स्थापित नहीं होकर वादीगण के अभिवचन के अनुरूप सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण स्वस्वरूप की क्षति के मानक भी वादीगण के पक्ष में होना स्थापित नहीं । वादी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

11. इस आदेश के विवेचन का प्रभाव प्रकरण के आगामी प्रक्रमों पर नहीं होगा।

आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर,  
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही /—

सही /—

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.  
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल  
जिला-बैतूल म0प्र0

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्या.  
के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग-1 बैतूल  
जिला-बैतूल म0प्र0